न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/224

1. भूराराम आत्मज गोकुलराम जाति मीणा निवासी बासनी
2. गंगाराम आत्मज गोकुलराम जाति मीणा निवासी बासनी
3. दयाराम आत्मज गोकुलराम जाति मीणा निवासी बासनी
4. श्योजीलाल आत्मज गोकुलराम जाति मीणा निवासी बासनी
5. विजयलाल आत्मज गोकुलराम जाति मीणा निवासी बासनी

–अपीलांटगण

बनाम

1. भंवरसिंह आत्मज नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी बासनी
2. दिलीप सिंह आत्मज नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री वहीद अहमद शेख, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गूर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 20.01.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 157/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खाता सख्या नया 144 पुराना 126 की खसरा संख्या 1214 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख.सं. 1215 रकबा 9 विस्वा, ख.स. 1218 रकबा 13 बिस्वा, ख.स. 1217 रकबा 19 बिस्वा, ख.स. 1218 रकबा 15 बिस्वा, ख.स. 1219 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख.स. 1220 रकबा 3 बिस्वा, ख.स. 1221 रकंवा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख.स. 1222 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख,सं. 1224 रकबा 18 बिस्वा, ख.स. 1225 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा कुल कित्ता 12 कुल रकवा 20 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बासनी में स्थित है जो प्रार्थीगण 1 लगायत 5 आपस में सगे भाई है, जिनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमिया है जिस पर निरन्तर प्रार्थीगण का कब्जा

काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण 1 लगायत 5 आपस मे सगे भाई है तथा एक बहिन काली बाई है, जिसकी शादी हो गई है जो ससुराल में ही निवास करती है जिसे कोई आपत्ति नही है तथा प्रार्थीगण के पिता गोकुलराम व माता बिरधी देवी का देहावसान हो चुका है प्रार्थीगण ही उनके वैध वारिसान एवं कायममुकामान है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमिया जो कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर आने जाने हेतु ख.सं. 1185 सिवायचक मेन रास्ते से ख सं. 1210 के उत्तरी मेर से होकर खसं. 1212 के उत्तरी मेर से पूर्व पश्चिम लम्बाई मे 15 फिट चोडा रास्ता से होते हुये खसं 1225 में से शेष प्रार्थीगण अपनी भूमियो पर सदियों से आते जाते रहे है। तथा इन्ही रास्ते से अपने खेतों पर कृषि यंत्र खाद बीज फसल आदि को लाते ले जाते रहे है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के भूमियो पर आने जाने का कोई रास्ता नही है। जून 2019 तक उक्त रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नही था लेकिन ख.स. 1212 अप्रार्थी संख्या 1 भंवरसिंह के खातेदारी मे दर्ज होने से उनके मन मे बदनियति आ गई तथा प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को अप्रार्थीगण 1 व 2 ने जेसीबी चला कर रास्ते पर कांटो की बाड लगा कर अवरूद्ध कर दिया तथा सदियो पुराने रास्ते को हाक जोत कर नष्ट कर अपनी भूमि में मिलाकर मुल स्वरूप को नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थीगण व मवेशी बेलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली व उपज को लाने ले जाने में काफी परेशानी हो गई। प्रार्थीगण ने रास्ता बहाल करने हेतु दिनांक 18.7.2019 को तहसीलदार को आवेदन पेश किया तो तहसील के कर्मचारीयो ने कहा कि न्यायालय से आदेश लाने के उपरान्त ही कार्यवाही कर रास्ता बहाल किया जा सकेगा। इसलिये दिनांक 20.9.2019 को श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही होने से यही वाद आवेदन उत्पति का कारण है जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई कानूनी विकल्प नही है। प्रार्थीगण अत्यन्त गरीब सीधे साधे काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण ताकतवर एवं लडाकु किस्म के प्रभावशाली है जो लडाई डागडे पर विश्वास करते है एवं प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अपने खेतो पर नही आने जाने दे रहे है अगर ऐसा ही रहा तो प्रार्थीगण अपनी कृषि कार्य से महरूम हो जायेगे तथा आय का अन्य स्त्रोत नही होने से परिवार के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। इसलियें उक्त आवेदन पत्र अन्दर अवधि न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीगण को अपनी भूमियो पर आने जाने हेतु कृषि भूमि व स. 1212 को उत्तरी मेर पर से 15 फ़िट चोडा रारता दिलाया जाय एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि में आने जाने वाली भूमि की कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने एवं न्यायालय श्रीमान के यहा जमा करवाने को तैयार है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर परमाया जाकर प्रार्थीगण को भूमि खस 1212 की उत्तरी भेर पर पूर्व पश्चिम पश्चिम लम्बाई में 15 फिट चोडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाए जाने का आदेश फरमावे तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में आने वाली भूमि को अप्रार्थी के खाते से कम की जाकर राजस्व रिकार्ड ने रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

कोटा

(7)

<u>अपील संख्या 2024/224</u>
<u>भूराराम बनाम भंवरसिंह वगै0</u>

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील ध सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को आदेश पारित किया गया है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी के लिए दिनांक 10.07.2024 को आवेदन करने पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 03.07.2024 को प्राप्त की गई। उक्त अपील अन्दर अवधि पेश है। न्यायालय अपील में विलम्ब होना मानता है तो विलम्ब को क्षमा किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया फिर भी किसी कारणवश यदि अपील प्रस्तुति में विलम्ब माना जावे तो विलम्ब क्षमा किये जावे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुति में हुआ विलम्ब क्षमा किया जावे तथा अपील अन्तर्गत अवधि स्वीकार फरमायी जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रारंभ से ही थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित थे तथा उनकी उपस्थिति में ही उक्त आदेश पारित किया गया था। दिनांक 27.06.2024 का आदेश पारित फरमाया था। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रारभं से ही जानकारी थी। इसके बावजूद भी अपीलांटगण द्वारा जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपील समयावधि में पेश नही की गयी है। इस कारण आदेश अपील मियाद बाहर है। उक्त अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता को उक्त निर्णय की जानकारी थी, इस कारण उक्त अपील अवधि बाधित है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को प्रतिदिन देरी का कारण अंकित करना होता है जो अपील में नही किया है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। इस कारण उक्त अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते का अनुतोष अस्पष्ट है प्रार्थीगण अपने खातेदारी आराजीयात पर कौनसे रिकार्डेड रास्ते से रास्ता घोषित करवाना चाहते है अस्पष्ट है प्रार्थीगण की आराजी एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते खसरा संख्या 1210 के आगे पीछे के खसरा नम्बर में से जो रास्ता नही चाहा गया है तो फिर रास्ते की घोषणा किस प्रकार होगी उक्त तथ्य अंकित नही होने से प्रार्थना पत्र अपूर्ण औचित्यहीन प्रतीत होता है अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष सही नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनकी भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1185 सिवायचक मेन रास्ते में से खसरा संख्या 1210 के उत्तरी मेड़ से हो कर खसरा संख्या 1212 के उत्तरी मेड़ से पूर्व पश्चिम लम्बाई में 15 फुट चौड़े रास्ते में से होते हुये 1225 में से प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर सदियों से आते जाते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के अभिवचन एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश किए गए नक्शे एवं चाहे गए रास्ते के सम्बन्ध में सही विवेचन नही करके अपीलांटगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के अभिवचनों एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का सही विश्लेषण नही करके जल्दीबाजी में दिनांक 27–6–2024 का निर्णय पारित किया है जो मौके एवं दस्तावेजों की स्थिति के अनुरूप नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो रास्ता चाहा गया है उससे प्रार्थीगण सदियों से आते जाते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खाते की भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। कानूनन किसी भी काश्तकार को उसके खेत पर आने जाने वाले रास्ते से नही रोका जा सकता। खातेदार को अपने खेत पर जाने के लिए मौके पर मौजूद रास्ते का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथीगण अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज किया है। विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली द्वारा दिनांक 27.06.2024 को पारित आदेश में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के खसरा संख्या 1210 के आगे व पीछे के खसरा संख्या में से रास्ता नहीं चाहा गया है, तो फिर रास्ते की घोषणा इस प्रकार से होगी :– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/ प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नक्शे व दस्तावेज का सही विश्लेषण नहीं किया। खसरा संख्या 1885 सिवाचचक मय रास्ते में से खसरा संख्या 1210 की उत्तरी मेर से होकर खसरा संख्या 1212 के उत्तरी मेर के पूर्व–पश्चिम लम्बाई में 15 फीट रास्ता खसरा संख्या 1225 में से शेष प्रार्थीगणों की भूमि पर जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के सबंध में अपने अभिवचनों में एवं दस्तावेजो में स्पष्ट अकंन होने रास्ते के सबंध में मौके के फोटोग्राफस पेश करने से भी चाहा गया अनुतोष विश्लेषण होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज. टि. एक्ट

खारिज करने में कानूनी मूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली का आदेश दिनांक 27.06.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थीगण अपीलांगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की प्रार्थना के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1212 की उत्तरी मेर पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई 15 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कारित करने के आदेश प्रदान किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अपीलांट के पक्ष में सुलभ हो अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सहखातेदार स्वयं की बहिन काली बाई को मौजूदा प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 1210 के उत्तरी मेर से हो कर खसरा संख्या 1212 के उत्तरी मेर से पूर्व पश्चिम लम्बाई में 15 फुट चौड़ा रास्ते से होते हुए अपनी भूमियों में कभी भी आये गए नही और न ही वहा कोई रास्ता मौजूद है। खसरा संख्या 1210 व 1212 की उत्तरी मेर पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण अपीलांटगण कभी भी खसरा नम्बर 1210 व 1212 की मेढ़ से आये गए भी नही और न ही कभी अपने कृषि यन्त्र, खाद, बीज, फसल लाये। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्य अंकित किए गए है। खसरा संख्या 1210 के खातेदार हंसराज, पृथ्वीराज पिसरान जयकिशन, मंजूबाई, राजकुमासरी पुत्रीयान जयकिशन मीणा निवासीगण बासनी एवं खसरा संख्या 1791/ 1220 के खातेदार भंवरसिंह, शम्भूसिंह, दिलीप सिंह पिसरान नाथूसिंह, रतनकॅवर, जतनकँवर पुत्रीयॉन नाथूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी है जो प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा जे.सी.बी. चला कर रास्ते में कॉटे की बाड़ लगा कर अवरूद्ध करना तथा हॉक जोत कर अपनी भूमियों में मिला कर नष्ट कर देना इत्यादी तथ्य प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में अपीलांटगण द्वारा गलत रूप से अंकित किए गए है। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं अपील में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण उक्त खसरा नम्बरान् पर रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण अपीलांटगण अपने खातेदारी की उक्त भूमियों में भूमि खसरा संख्या 1221 की पूर्व की ओर ग्राम बासनी के खसरा नम्बर 1221/0.15 गै.मु.बरड़ा सिवायचक, खसरा नम्बर 1228/0.10 बंजड़ सिवायचक में होते हुये ग्राम उमर के खसरा नम्बर 32/11.17 गै. मु.बरड़ा सिवायचक में होते हुये ग्राम बासनी के खसरा नम्बर 1234 में पूर्व में बने हुये ग्रेवल रास्ते से आते जाते है। और अपने मवेशी, कृषि यन्त्र, फसल इत्यादी लाते है और ले जाते है जो उक्त रास्ता सदियों से प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपीलांटगण एवं उनके पूर्वज सदियों से इसी रास्ते से आते जाते है। और फसल, कृषि यन्त्र इत्यादी लाते है और ले जाते है। उक्त रास्ता सबसे सुगम व निकटतम् रास्ता है तथा प्रार्थीगण अपीलांटगण के पास मौजूद है। उक्त रास्ते बाबत् दिनांक 27–10–2021 को ग्राम पंचायत उमर में लगे राजस्व शिविर के पूर्व दिनांक 26–10–2021 को भी मौका देखा गया था और मौका रिपोर्ट मुर्तीब की गई थी। उस समय स्वयं प्रार्थीगण अपीलांटगण भी मौजूद थे, और वें सहमत थे। प्रार्थीगण अपीलांटगण के पास में वर्णित रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी कोटा

वैकल्पिक रूप में मौजूद है और उसी से प्रार्थीगण आते जाते है। जो सबसे सुगम व निकटतम् रास्ता है तथा उक्त रास्ता दिनांक 26–10–2021 को देखे गए मौका रिपोर्ट में भी अंकित है। प्रार्थीगण अपीलांटगण खसरा संख्या 1210 एवं 1212 की भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण अपीलांटगण के पास उपरोक्त वर्णित सबसे सुगम व निकटतम रास्ता वैकल्पिक रूप में मौजूद है। और उसी से प्रार्थीगण आते जाते है और यदि फिर भी उक्त भूमि खसरा संख्या 1210 एवं 1212 में रास्ता घोषित किया जाता है तो अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अन्य उपरोक्त खातेदारान् की भूमियाँ दो भागों में बँट जायेगी। और वें अपनी भूमियों से वंचित हो जायेगें। जिससे खातेदारान् अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपरोक्त खातेदारान् को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण अपीलांटगण के पास उक्त वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। और प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को तंग व परेशान करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06. 2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा स्वयं की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1212 की मेढ़ पर विद्यमान होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में दिनांक 26.10.2021 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वांछित रास्ता निकटतम एवं सुगम नहीं होने का अंकन किया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट दिनांक 26. 10.2021 में अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खाते की खसरा नम्बर 1221 के पूर्व की ओर ग्राम [illegible] के खसरा नम्बर 1226, 1228 में होते हुए ग्राम उमर में खसरा नम्बर 32 से होते हुए ग्राम बासनी के खसरा नम्बर 1234 में पूर्व में बने हुए रास्ते पर होने तथा निकटतम व सुगम होने का

अंकन किया गया है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 में खसरा नम्बर 1212 की भूमि पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने का अंकन है। रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली में प्रार्थीगण अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 1221 के पूर्वी ओर रास्ता होना दर्शाया गया है तथा उक्त रास्ते को अवरूद्ध होने का अंकन किया गया है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है। चूंकि उक्त वेकल्पिक रास्ता अवरूद्ध है अतः उक्त रास्ते को नियमानुसार खुलवाकर अपीलांटगण स्वयं के खातेदारी की भूमि में आ–जा सकते है। अपीलांटगण द्वारा सिवायचक खसरा नम्बर 1185 मेन रास्ते से सीधे ही खसरा नम्बर 1212 की भूमि में रास्ता चाहा गया है, जबकि अपीलांटगण द्वारा वांछित रास्ते में खसरा नम्बर 1212 पहले खसरा नम्बर 1210 एवं 1211 की भूमि आती है जिनके सम्बंध में कोई रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांटगण को सीधे ही खसरा नम्बर 1212 की भूमि में रास्ता प्रदान किया जाना कानूनन संभव नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2024 में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वांछित अनुतोष अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण प्रार्थीगण अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 157/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 यथावत रखा जाता है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा